प्रकरण संख्या 58/2016 बदरू व अन्य बनाम थावरचन्द व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि दिनांक 19.01.2018 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के निधन हो जाने की सूचना रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने प्रस्तुत की, जिसकी वकील अपीलान्ट को जानकारी दी गयी थी। प्रकरण में दिनांक 18.05.2018 को अधिवक्ता अपीलान्ट को पुनः नामकायमी करवाने के लिए सूचित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा नामकायमी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके लिए उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 01.06.2018 को पुनः नामकायमी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, आईन्दा अबेट की कार्यवाही हिदायत के साथ अवसर दिया गया। प्रकरण में दिनांक 15.06.2018 को आश्चर्य जनक रूप से वकील अपीलान्ट द्वारा नामकायमी का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दौराने सुनवाई 06.07.2018 को वकील अपीलान्ट द्वारा नामकायमी का आवेदन प्रस्तुत किया गया, परन्तु उसके साथ शपथ पत्र तथा बावजूद जानकारी दिनांक 19.01.2018 से 90 दिवस में दिनांक 18.04.2018 को पूर्व हो जाने के बावजूद विलम्ब के कारण का कोई आवेदन तथा उपशमन निरस्ती का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया। तद्नुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के बाबत् नामकायमी का कोई विधिक आवेदन व उपशमन निरस्ती का कोई आवेदन पेश शुदा विधिक रूप से नहीं माना जा सकता। प्रकरण में वादी/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद धारा 88 घोषणात्मक राहत का प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विवादित आराजियात में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रकरण में चाही गयी राहत घोषणात्मक राहत है एवं प्रकरण अकेले रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अबेट नहीं हो सकता एवं तद्नुसार यह प्रकरण अकेले रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अबेट नहीं किये जा सकने के कारण सम्पूर्ण प्रकरण अबेट होता है। अपीलान्ट द्वारा विधिक रूप से नामकायमी का आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट समग्र रूप से अबेट होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	